न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/48/2010	18-11-2010	12-06-2019

01- सरकार जरिये थानाधिकारी रैणी जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

01- भागचंद पुत्र अंधुराम जाति कुम्हार निवासी गढ़ थाना राजगढ़ जिला अलवर।
02- कैलाश राम उर्फ मक्खन लाल पुत्र कन्हैयालाल जाति मीना निवासी ढ़िगारिया भीम थाना बान्दीकुई जिला दौसा राजस्थान।

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित आदेश राजस्थान पेट्रोलियम उत्पात अनुज्ञापत्र नियंत्रण आदेश 1990 की शर्त 15 का उल्लंघन बाबत।

उपस्थितः-
01-बाबूलाल गोयल - वकील अप्रार्थी

-:निर्णयः-

प्रकरण थानाधिकारी रैणी द्वारा पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 10.10.2010 को सुबह 10 बजे रवाना होकर दोपहर 12.15 बजे राजगढ-रैणी रोड़ पर एक पिकअप गाड़ी नं0 आरजे 32 जीए 4679 आती दिखाई दी। जिसे रूकवाया गया। उक्त पिकअप को भागचंद पुत्र अंधूराम जाति कुम्हार निवासी गढ़ थाना राजगढ चला रहा था तथा साथ में कैलाश राम उर्फ मक्खन लाल पुत्र कन्हैयालाल जाति मीना निवासी ढिगारिया थाना बांदीकुई जिला दौसा था। चैक करने पर प्लास्टिक के दस बड़े ड्रम व दो छोटी कैन पायी गई। जिनमें 2300 लीटर डीजल भरा पाया गया। चालक से बिल व डीजल परिवहन के बारे में पूछा तो डीजल कैलाश राम का होना पाया, जो हरियाणा से लाया था। बिल नहीं होना, परिवहन करने का कृत्य 3/7 ईसी एक्ट के तहत व राजस्थान पेट्रोलियम उत्पात अनुज्ञापत्र नियंत्रण आदेश 1990 की शर्त 15 का उल्लंघन पाया गया। पिकअम व डीजल को जब्त कर मुलजिमान को गिरफतार किया गया। तफ्तीस से जुर्म साबित पाया। जब्तशुदा वाहन मय डीजल 2300 लीटर को निस्तारण करने का निवेदन किया। प्रार्थी भागचंद द्वारा प्रार्थना-पत्र वाहन सुपुर्दगी में देने का निवेदन किया। जिसे दिनांक 18.11. 2010 को खारिज कर दिया गया। माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अ.जा./अ.ज. जा/अ.नि. प्रकरण अलवर द्वारा दिनांक 06.12.2010 को अंडर-टेकिंग पेश करने पर वाहन सुपुर्दगी पर देने के आदेश फरमायें। दिनांक 10.12.2010 को जब्त वाहन को भागचंद को सुपुर्दनामें पर दे दिया गया। दिनांक 01.08.2013 को अन्य अप्रार्थी कैलाश राम उर्फ मक्खन लाल पुत्र कन्हैयालाल जाति मीना निवासी ग्राम ढिगारिया थाना बांदीकुई जिला दौसा द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया गया कि गैरसायल के पास करीब 9 बीघा जमीन व एक ट्रेक्टर आरजे 29 आर 3162 व छुट्टन लाल पुत्र पूनियाराम के पास करीब 17 बीघा जमीन व एक ट्रेक्टर है। हमारे ही गांव के जलधारी पुत्र हर्जी के पिता के नाम करीब 32 बीघा —

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

जमीन व एक ट्रेक्टर आर जे 29 आर 3691 है व सीयाराम पुत्र गोपीराम के पास करीब 11 बीघा जमीन व एक ट्रेक्टर आरजे 29 आर 4321 है। सभी का 480 लीटर, 480 लीटर डीजल पिकअप में लेकर जा रहे थे। इसी प्रकार से विक्रय आदि के लिये नहीं ला रहा था। अतः नोटिस खारिज फरमाया जावें। चारों के शपथ–पत्र भी पेश किये गये है। दिनांक 02.08.2018 को कैलाश राम उर्फ मक्खन लाल पुत्र कन्हैयालाल जाति मीना निवासी ग्राम ढिगारिया थाना बांदीकुई जिला दौसा द्वारा प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी को मुलजिम मानकर 2300 लीटर डीजल जब्त कर लिया था। उसे थाना रैणी का सुपुर्दगी में दे दिया गया था। माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2 अलवर में अप्रार्थी को उक्त जुर्म का दौषी नहीं मानकर बरी किया गया है और माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश नं0 1 अलवर द्वारा भी बरी किया जा चुका है। जिसकी नकल दिनांक 20.03.2018 पेश की गई है। अतः प्रार्थी का जब्तशुदा 2300 लीटर डीजल वापस दिलाया जावें।

वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2 अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2018 व माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश संख्या 1 अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2018 से प्रार्थी कैलाश राम उर्फ मक्खन लाल पुत्र कन्हैयालाल जाति मीना निवासी ग्राम ढिगारिया थाना बांदीकुई जिला दौसा राज0 को उक्त आरोपित अपराध से उन्मोचित किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा नोटेरी स्टाम्प पर अंडर–टेकिंग दी गई है कि मेरे द्वारा जब्त डीजल को पाने का मैं एक मात्र अधिकारी हूं तथा उक्त डीजल को मुझे दे दिया जावें। उक्त डीजल को मैं कृषि कार्य में ही उपयोग में लूंगा। यदि भविष्य में कोई भी न्यायालय मुझे उक्त डीजल बाबत तलब करेगा तो मैं इस डीजल की किमत जमा कराने के लिये बाध्य रहूंगा।

अतः मुकामी थानाधिकारी रैणी को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी कैलाश राम उर्फ मक्खन लाल पुत्र कन्हैयालाल जाति मीना निवासी ग्राम ढिगारिया थाना बांदीकुई जिला दौसा राज0 से जब्त डीजल दस ड्रम व दो छोटी कैन को दे दिया जावें। भविष्य में किसी भी न्यायालय द्वारा तलब करने पर उक्त डीजल की किमत जमा कराने हेतु प्रार्थी कैलाश राम उर्फ मक्खन लाल पुत्र कन्हैयालाल जाति मीना निवासी ग्राम ढिगारिया थाना बांदीकुई जिला दौसा राज0 बाध्य रहेगा। निर्णय की प्रति थानाधिकारी रैणी को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर